श्रमायुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन

एवं

मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01.10.2025 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट

www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक प्रभावशील

1/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP. 10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024 एवं क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च,2025 को पारित आदेश के आलोक में म.प्र.शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित/ निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें, "किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपेरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन" को छोडकर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील हो जाती है।

2/ उक्त के आलोक में निम्नलिखित 03 नवीन नियोजनों के लिए **खण्ड-अ** की अनुसूची-अ में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय, न्यूनतम वेतन दरें दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक के लिये निर्धारित की जाती है :-

1- अनुक्रमांक 36(क) – किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन।
2- अनुक्रमांक 59(क) – किसी वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपैरल निर्माण में नियोजन।
3- अनुक्रमांक 73 – किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन।

3/ शेष 67 अधिसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन तथा अगरबत्ती नियोजन के लिए **खण्ड-ब** में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक के लिये निर्धारित की जाती है।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

मंहगाई भत्ते की दरें

खण्ड-अ

तीन नवीन अनुसूचित नियोजनों हेतु (खण्ड-अ - अनुसूची-अ)	पृष्ठ क्र. 3-5

खण्ड-ब

<u>शेष अनुसूचित नियोजन</u>

67 नियोजन (अनुसूची- अ, ब, स)	पृष्ठ क्र. 06-19
प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक/कर्मचारी हेतु अनुसूची-'क'	पृष्ठ क्रमांक 20
कृषि नियोजन (अनुसूची-'द')	पृष्ठ क्र. 21-23
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 24-32
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 33-38
संक्षिप्त एकजाई अधिसूचना	पृष्ठ क्र. 39-42

खण्ड-अ

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-5/11/अन्वे/पांच/2024/ 24861 इन्दौर, दिनांक 01 / 10 /2025

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं रजनी सिंह., श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जनवरी,2025 से जून,2025 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूं:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,2025	412.42
फरवरी, 2025	411.26
मार्च, 2025	411.84
अप्रैल, 2025	413.28
मई, 2025	414.72
जून, 2025	417.60
योग/औसत सूचकांक	2481.12 ÷6 = 413.52 (414)

तथा इनका **औसत 414 घोषित** करता हूं, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून,2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून,2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून,2016 से लागू है।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

खण्ड-अ

03 नवीन नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून,2014) 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/ 2024/ .... दिनांक .... के अनुसार जनवरी से जून,2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 414 रहा है। विगत छः माही का औसत 413 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 413 के ऊपर (414-413)= 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी,2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/24, क्रमांक 11921/24, क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च,2025 को पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4 (बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी,2025 (म.प्र. राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोडे गये 03 नवीन नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (25X1)= 25/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (414-241) = 173 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25X173)= **4325/-**प्रतिमाह या (4325÷26) रूपये 166.35 प्रतिदिन एवं **अकुशल श्रमिकों** के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (414-253)= 161 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X161)= **4025/-**प्रतिमाह या (4025÷26) रूपये 154.81 प्रतिदिन रूपये दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है। (अनुसूची-अ **(खण्ड–अ)** के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून,1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं 03 नवीन नियोजनों के लिए **अनुसूची-अ (खण्ड–अ)** के अनुसार न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करती हूं, जो **दिनांक** 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है।

अनुसूची–अ (खण्ड-अ)

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी,2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/24, क्रमांक 11921/24, क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च,2025 को पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/ 2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र. राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोडे गये 03 नवीन अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	4000	153.85	10500	403.85	404	अकुशल	6500	250.00	4025	154.81	10525	404.81	405
7057	271.42	4300	165.38	11357	436.80	437	अर्द्धकुशल	7057	271.42	4325	166.35	11382	437.77	438
8435	324.42	4300	165.38	12735	489.80	490	कुशल	8435	324.42	4325	166.35	12760	490.77	491
9735	374.42	4300	165.38	14035	539.80	540	उच्चकुशल	9735	374.42	4325	166.35	14060	540.77	541

स्पष्टीकरण – मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/ 2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा। उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई,2014 से दिसंबर,2014 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

टीप – न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत 03 नवीन अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-स तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ठ-ब में ही देखें।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

खण्ड– ब

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

67 अधिसूचित नियोजनों हेतु न्यूनतम वेतन की दरें

क्रमांक 1-1/11/अन्वे/पांच/2024/ 24862 इन्दौर, दिनांक 01 / 10 /2025

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूं:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,2025	412.42
फरवरी, 2025	411.26
मार्च, 2025	411.84
अप्रैल, 2025	413.28
मई, 2025	414.72
जून, 2025	417.60
योग/औसत सूचकांक	**2481.12 ÷6 = 413.52 (414)**

तथा इनका औसत 414 घोषित करती हूं, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.असाधारण राजपत्र दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136, 136(1) से 136(32) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 के अनुसार राज्य के नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी-जून,2019), 2001=100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है। जो कि दिनांक 01 अप्रैल,2024 से लागू है।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश शासन
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

03 नवीन नियोजनों को छोड़कर, शेष 67 अधिसूचित नियोजनों हेतु

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्र. 135, 136, 136(1) से 136(32) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून,2019) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 (जनवरी से जून,2019) 2001=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अकुशल श्रमिक रूपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रूपये 1750/- को दिनांक 1.4.2024 से पुनरीक्षित न्युनतम वेतन दरों में जोडकर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। अत: सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/ 2024/.......... .... दिनांक .... के अनुसार जनवरी, 2025 से जून,2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का **औसत 414** रहा है। विगत छः माही का औसत 413 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 413 के ऊपर (414-413)= 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (25X01)= 25/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (414-311)= 103 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25X103)=**2575/-** रूपये प्रतिमाह या (2575÷26) रूपये 99.04 पैसे प्रतिदिन **दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026** तक देय है। **(खण्ड-ब अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।**

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून,1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्र.3761/613/16-ए /82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतदद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करती हूं, जो दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है।

अनुसूची–अ (खण्ड-ब)

67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466	अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
10571	406.57	2550	98.08	13121	504.65	505	अर्द्धकुशल	10571	406.57	2575	99.04	13146	505.61	506
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	कुशल	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633	उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634

स्पष्टीकरण –

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा। **विशेष टीप** : उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी,2019 से जून,2019 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

टीप – न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ठ-ब में देखें।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

परिशिष्ठ - अ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन भाग – एक
1	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3	किसी मार्गो के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6	किसी सिंचाई कार्यो के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8	किसी आरा मिल में नियोजन
9	किसी तेल मिल में नियोजन
10	किसी चांवल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11	किसी मुर्रा पोहा निर्माणी में नियोजन
12	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमे केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आइसकेंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13	किसी पत्थर तोडने या पत्थर पिसने के कार्य में नियोजन
14	किसी दूकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19	किसी चूना भट्टे में नियोजन
20	किसी ईट भट्टे में नियोजन
21	किसी पॉवरलूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24	किसी खाण्डसारी उत्पादन में नियोजन
25	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्सतथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31	किसी बोनमिल में नियोजन
32	किसी टाईल्स, जिसमें मेंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्सतथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नही है, के निर्माण में नियोजन
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम,1948 की धारा दो(क) में परिभाषित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्ठि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विज्ञान (पेथालॉजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है, में नियोजन

35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड, मुरम, लेट्राईट, बोल्डर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स, अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टारेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसवानी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिटटी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपडे से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार, बडी, पापडतथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
	भाग – दो
1	कृषि में नियोजन

<u>परिशिष्ठ - ब</u>

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा –

   (क) "**कुशल कर्मचारी**" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।

   (ख) "**अर्द्ध कुशल कर्मचारी**"से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंधे-बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।

   (ग) "**अकुशल कर्मचारी**" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करना है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नही पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए ।

   (घ) "**उच्च कुशल कर्मचारी**"वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ठ स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकशिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ठ ज्ञान होना अपेक्षित है।

   अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यो के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय वकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए) ।

5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।

6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।

8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी।

9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये है, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

(रजनी सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

<u>परिशिष्ठ - स</u>

म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी,2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी,2025) द्वारा जोडे गए 03 नवीन अनुसूचित नियोजन की सूची

क्र.	नवीन अनुसूचित नियोजन भाग – एक
36(क)	किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन
59(क)	किसी वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपैरल निर्माण में नियोजन।
73	किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन।

<u>अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की</u>

<u>उदाहरणार्थ सूची :-</u>

अकुशल –

मजदूर (पुरूष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/ प्यून/ भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, खल्लासी, व्हीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमेन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमेन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेडेवाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंस्ड वेंडर, बालवाडी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्याउ पर पानी पिलाने वाला, रोलकटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डालेवाला), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, कॉटनशीटस कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड्डूवाला, बोडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्डबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेन्डर, अटेन्डेंट, वाई सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरूष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टीढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉण्ड्रीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूंथना, पापड बेलने का कार्य, बेलबॉय, वेटर, रूम अटेंडेन्ट, धागा कटिंग, चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफटर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल–

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहर्रिर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेसमेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राईन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिंकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वालानिरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेंट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोतल फिलर, केप्सूल फीलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपेलर मेन, मशीन अटेन्डेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रियाईन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटीमैन, सहायक सेल्समेन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूंथने वालाया मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईंट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटाफोलर, गांठवाला, सहायक जॉवर, सहायक सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्विस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक,कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटरहोजियरी, चीफर, सहायक पैन आपरेटर, सहायक सार्टर, मुंशी, फार्मेसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी.असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफटमेन, सहायक सिक्युरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेंडेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, क्लिन्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, क्लिन्स श्रमिक, ब्लेजर पैन

मिल, फ्रिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा ऑपरेटर, चिपर, मेकेनिककम हेल्पर, बेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेक्निशियन, डार्करूम सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, थ्रेसर, आया, पेकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्स टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, असिस्टेंट सुपरवाईजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केअर टेकर, माडयूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल–

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई.पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंसधारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, बॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, जे.सी.बी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, चालक(भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइन्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सुपरवाईजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी-मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वालाकर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ीया अशासकीय, ऑपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सिनियर गार्ड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज ऑपरेटर, मुनीम, वुड पॉलिशर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, ब्लेकस्मिथ, शेपर, वल्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोलस्टर, कारपेंटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हैमरमेन, ग्रोसर, प्रयोगशाला तकनिशियन/लेब्रोरेटरी टेक्निशियन, शॉवल, बेलसिंकर, प्रयोगशाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टीवाला, पेंटर, फोटोकॉपी ऑपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशिनिस्ट, कताई इंचार्ज, कम्प्रेसर ऑपरेटर, लॉण्ड्री अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिक्युरिटीसुपरवाईजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नर्स, रेकार्डकीपर, ओ.टी.मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी(वार्डन), दर्जी, रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनक्रशर, चरखा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, वुडपॉलिशर, ड्रायक्लीन डोजर, स्क्रेपर, डीजलपम्प आपरेटर, सीनियर मेकेनिक, केमिस्ट/ लेबोरेटरी के सहायक, टेकनीशियनके सहायक, लायब्रेरियन (ग्रंथपाल), पाईपमेलरऑपरेटर, पॉलिशर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेंडर्स, पेटस मेकेनिक कम आपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्म्ड सिक्युरिटी गार्ड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटिशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्टयूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवर/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खिचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोपमेकर, प्लाण्ट आपरेटर, टॉयमेकर, स्टिचर, रिसेप्शनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाईन्डर, हेडकुक, सर्वेयर, गाईड, सुपरवाईजर, सार्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपींग, सैल्स रिप्रेजेन्टेटिवतथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल–

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर आपरेटर, जियोलॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटाईपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफटवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सलटेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफीसर, सेल्स प्रमोशन ऑफीसर, एरिया मेनेजर, टेरीटरी मैनेजर, सैल्स एक्जीक्युटिव, साईन्टिफीक ऑफीसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

<u>किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची –</u>

उच्च कुशल –

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक"जैसे –

एकाउन्टेंट, केशियर आदि ।

लिपिकीय श्रेणी "दो"जैसे –

बिल मेन, टायपिस्ट, क्लर्क आदि ।

कुशल श्रेणी "एक"जैसे –

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर,, लिथोऑफसेट कॉपी पेस्टर, , लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि ।

कुशल श्रेणी "दो"जैसे –

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफटमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन"जैसे –

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डरस्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक"जैसे –

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सीनर, वॉक्सीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोनपॉलिशर, असिस्टेंट कॉपी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो"जैसे –

स्ट्रेंडिंग फार्मकीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंगफिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूप असिस्टेंट, फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे –

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइंडिंग बायलर क्लीनर, मजदूर आक्जिलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।

(रजनी सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अनुसूची – ब

किसी स्लेट पैंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन (रूपये में)		राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन (रूपये में)		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466	मजदूर	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
10131	389.65	2550	98.08	12681	487.73	488	पेकर, पट्टी पेकर,सीपर	10131	389.65	2575	99.04	12706	488.69	489
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
13653	525.12	2550	98.08	16203	623.20	623	रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2575	99.04	16228	624.16	624
13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633	उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634
14444	555.54	2550	98.08	16994	653.62	654	कटर्स	14444	555.54	2575	99.04	17019	654.58	655

<u>स्पष्टीकरण</u> – 1-मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा। **विशेष टीप** : उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

2-श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी,2019 से जून,2019 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

3-इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

अनुसूची – स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
						रूपये	लिपिकीय वर्ग							रूपये
9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466	अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
10571	406.57	2550	98.08	13121	504.65	505	श्रेणी दो	10571	406.57	2575	99.04	13146	505.61	506
13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633	उच्च कुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634
							कुशल श्रेणी							
13856	532.93	2550	98.08	16406	631.01	631	श्रेणी एक	13856	532.93	2575	99.04	16431	631.97	632
13473	518.19	2550	98.08	16023	616.27	616	श्रेणी दो	13473	518.19	2575	99.04	16048	617.23	617
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	श्रेणी तीन	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
							अर्द्ध कुशल श्रेणी							
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
10571	406.57	2550	98.08	13121	504.65	505	श्रेणी दो	10571	406.57	2575	99.04	13146	505.61	506

स्पष्टीकरण –

1 मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

2 श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी,2019 से जून,2019 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा। उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है।

3- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

अनुसूची – क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9575	319.17	2550	85.00	12125	404.17	404	अकुशल	9575	319.17	2575	85.83	12150	405.00	405
10571	352.37	2550	85.00	13121	437.37	437	अर्द्धकुशल	10571	352.37	2575	85.83	13146	438.20	438
12294	409.80	2550	85.00	14844	494.80	495	कुशल	12294	409.80	2575	85.83	14869	495.63	496
13919	463.97	2550	85.00	16469	548.97	549	उच्चकुशल	13919	463.97	2575	85.83	16494	549.80	550

स्पष्टीकरण –

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा। **विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है,** इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी, 2019 से जून,2019 के आधार आंकडों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-2/11/अन्वे/पांच/2024/ 24863 इन्दौर, दिनांक 01/10/2025

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अखिल भारतीय **कृषि श्रमिक** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। माह **जनवरी**,2025 से जून,2025 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूं:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी, 2025	1316
फरवरी, 2025	1309
मार्च, 2025	1306
अप्रैल, 2025	1307
मई, 2025	1289.64
जून, 2025	1299.24
औसत सूचकांक	7826.88 ÷ 6 = 1304.48 (1304)

तथा इनका औसत **1304** घोषित करता हूं, जो कि परिशिष्ठित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 में पृ.क्र.136(40) में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.03.2024 (म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.मार्च.2024) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 930 (जनवरी से जून,2019) 1986-87=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 930 (जनवरी से जून,2019) 1986-87=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 972/- को दिनांक 1.4.2024 से पुनरीक्षित न्युनतम वेतन दर में जोडकर श्रम विभागीय अधिसचूना दिनांक 04 मार्च,2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दर निर्धारित की गई है। अतः सूचकांक 930 के ऊपर हुई सूचकांक में वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र.2/11/अन्वे./पांच/2024/.......... .... दिनांक / /2025 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी,2025 से जून,2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1304 रहा है। विगत छः माही का औसत 1308 रहा था। अखिल भारतीय कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विगत छःमाही के औसत में (1304-1308)= (-4) औसत बिन्दुओं की कमी हुई है। तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित देय वेतन (30 दिन के मान से) पूर्व में दिनांक 01.04.2025 से जारी दरें यथावत रखी जा रही है, जो कि दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय होगी तक देय होगी। (अनुसूची- द के लिए)।

अनुसूची – द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7660	255.32	2268	75.60	9928	330.93	331	अकुशल कृषि श्रमिक	7660	255.32	2268	75.60	9928	330.93	331

स्पष्टीकरण – परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

(1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी से जून, 2019 के आधार आंकडों के औसत 930 (1986-87=100) के ऊपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रूपये 6/- (छः रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।

(2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

(3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

(4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू0वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

(5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरूषों के लिए एक समान नियत है।

(6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/ 10252 इन्दौर, दिनाक 28 /मार्च/2025

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मै रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत जनवरी,2024 से दिसंबर,2024 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूं:-

	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1	जनवरी, 2024	9131.09
2	फरवरी, 2024	9150.81
3	मार्च, 2024	9131.09
4	अप्रैल, 2024	9163.96
5	मई, 2024	9143.58
6	जून, 2024	9295.44
7	जुलाई, 2024	9380.90
8	अगस्त, 2024	9374.32
9	सितम्बर, 2024	9420.34
10	अक्टूबर, 2024	9499.23
11	नवंबर, 2024	9499.23
12	दिसंबर, 2024	9446.64
	योग/ औसत सूचकांक	111636.33 ÷ 12 = 9303.05 (9303)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 9303 घोषित करती हूं, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.मार्च.2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च 2044 में पृष्ठ क्रमांक 136(36) पर प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ठ परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक देय रहेगा।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर,2014) एवं श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.मार्च.2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च 2044 में पृष्ठ क्रमांक 136(36) पर प्रकाशित) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में निर्धारित दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/.........10252......... दिनांक 28/03/2025 के अनुसार जनवरी,2024 से दिसंबर,2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 9303 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी से दिसंबर,2018 के आधार आंकड़ों के औसत 6730 (1960=100) के ऊपर (9303-6730 = 2573 पाईन्ट) 2573 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 01 पैसे प्रति बिन्दु, प्रति हजार बीड़ी के मान से रूपये 25.73 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक देय होगा।

अनुसूची – ई

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	106.81	25.73	रूपये 132.54 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 742.22 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ठ में बताई गई शर्तो के अनुसार कम से कम रूपये 742.22 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

नोट – एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रूपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रूपये 59 पैसे (8.33 प्रतिशत), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रूपये 63 पैसे (5 प्रतिशत), एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रूपये 92 पैसे (10 प्रतिशत) इस प्रकार कुल 164 रूपये 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से 13 रूपये 92 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रूपये 92 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 136 रूपये 84 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
2- रिलाई श्रमिक			
अ- बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1- लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रू.79.80 प्रति 1000 कट्टो पर	रू. 25.73 (02 पैसे प्रति 2000)	रूपये 105.53
2- यदि कट्टे पर दोनो ओर लेबल लगाया जाता है।	रू. 84.60 प्रति 1000 कट्टो पर	रू. 25.73 (02 पैसे प्रति 2000)	रूपये 110.33
ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रू. 71.75 प्रति 1000 कट्टो पर	रू. 25.73 (02 पैसे प्रति 2000)	रूपये 97.48
2. झिल्ली लगाना	रू. 52.66 प्रति 1000 कट्टो पर	रू.19.30 (03 पैसे प्रति 4000)	रूपये 71.96
3. लेबल लगाना	रू. 19.63 प्रति 1000 कट्टो पर	रू. 6.43 (02 पैसे प्रति 8000)	रूपये 26.06
4. पूड़ा बनाना या चिपकाना	रू. 20.14 प्रति 1000 कट्टो पर	रू. 6.43 (02 पैसे प्रति 8000)	रूपये 26.57
स. एक हजार कट्टों पर, जबकि 25 बीडियों का कट्टा हो :-			
1. आडी तथा खडी पट्टी लगाने का कार्य हो	रू. 298.04 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 102.92 (04 पैसे प्रतिलाख बीडी पर)	रूपये 400.96
2. झिल्ली आडी तथा खडी लगाने का कार्य हो	रू. 324.23 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 102.92 (04 पैसे प्रतिलाख बीडी पर)	रूपये 427.15
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रू. 324.23 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 102.92 (04 पैसे प्रतिलाख बीडी पर)	रूपये 427.15

नोट – बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे बीडी छांटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मनुीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगें।

इस प्रयोजन के लियु उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा –

1- कुशल - ड्रायवर/चालक (भारी वाहन), एकउन्टेंट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेड क्लर्क, गोडाउन कीपर ।

2-अर्द्धकुशल- बीडी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायवर (हल्के वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क आदि।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)
Effective from 01.04.2025 to 31.03.2026
V.D.A. revisable annually with effect from 01.04.2025

1.	Basic Wage	106.81
2.	Variable Dearness Allowance	25.73
3.	Leave with Salary (@ 5% of total wages)	06.63
4.	Total Wages	139.17
5.	Bonus (@ 8.33% of total wages)	11.59
6.	P.F. contribution of Employer (@ 10% of total wages)	13.92
7.	Total Wages + Bonus + P.F. contribution = Less Contribution of Employer (-)	164.68
8.	Total Wage + Bonus	150.76
9.	Less P.F. Contribution of Employee (@ 10% of Total Wages(-)	13.92
10.	Net Payable to Beedi Roller	136.84

(Rajani Singh)
Labour Commissioner,
Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-3(ए)/11/अन्वे/पांच/2024/ 24865 इन्दौर, दिनांक 01 /10 /2025

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर मैं, रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत **जनवरी,2025 से जून,2025** तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करती हूं :-

क्र.	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जनवरी,2025	412.42
2	फरवरी, 2025	411.26
3	मार्च, 2025	411.84
4	अप्रैल, 2025	413.28
5	मई, 2025	414.72
6	जून, 2025	417.60
	योग/औसत सूचकांक	2481.12 ÷6 = 413.52 (414)

तथा उक्तानुसार इनका औसत **414** घोषित करता हूं, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.मार्च.2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च 2044 में पृष्ठ क्रमांक 136(36) पर प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ठ परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय रहेगा।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

<u>किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्ममक टीप</u>

म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर, 2014 एवं श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.मार्च.2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च 2044 में पृष्ठ क्रमांक 136(36) पर प्रकाशित) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) से संबंद्व किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3-ए/11/अन्वे/पांच/ 2024/...................................... दिनांक / /2025 के अनुसार जनवरी से जून-2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 414 रहा है। विगत छः माही का औसत 413 रहा था। अतः इसके कारण विगत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 413 के ऊपर (414-413) = 01 पाईन्ट, 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीडी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये 25X01= 25 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जनवरी,2019 से जून,2019 के आधार आंकडों के औसत सूचकांक 311 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 414–311= 103 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X103) रूपये 2575/- प्रतिमाह अथवा (2575÷26)= रूपये 99.04/-प्रतिदिन है। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित कुल वेतन प्रतिमाह 10719 रूपये या 10719÷26=412.27 रूपये प्रतिदिन दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय होगा।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक निम्नानुसार देय है :-

(आंकडे रूपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप दैनिक दर रूपये में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीडियां प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्रायवर(चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क बिलमेन	8144	313.23	2575	99.04	10719	412.27	412
2	ट्रक में माल चढाने या उतारने या बीडियों के पूडों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भृत्य, चौकीदार	7981	306.96	2575	99.04	10556	406.00	406
3	ड्रायव्हर (चालक) भारी वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियन, स्टोर कीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क।	8144	313.23	2575	99.04	10719	412.27	412

स्पष्टीकरण

1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

3- न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।

4- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (माह जनवरी से दिसंबर,2018) के औसत 6730 (1960=100) पर आधारित है। 6730 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल से की जावेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।

5- निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

6- जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

7- गारण्टी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का, जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।

8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

10- आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-4/11/अन्वे/पांच/2024/ 24865 इन्दौर,दिनांक 01/10/2025

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत माह **जनवरी,2025 से जून,2025** तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करती हूं:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी,2025	412.42
फरवरी, 2025	411.26
मार्च, 2025	411.84
अप्रैल, 2025	413.28
मई, 2025	414.72
जून, 2025	417.60
योग/औसत सूचकांक	**2481.12 ÷6 = 413.52 (414)**

तथा उक्तानुसार छःमाही का औसत **414** घोषित करता हूं, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 136(33) पर प्रकाशित) के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता **अगरबत्ती उद्योग** में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्ममक टीप

अगरबत्ती उद्योग

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 136(33) पर प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/ 2024/ .... दिनांक / /2025 के अनुसार जनवरी-2025 से जून-2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 414 रहा है। विगत छः माही का औसत 413 रहा था। इसके कारण विगत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्तार मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (414-413)=01 पाईन्ट) 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये 25X01= 25 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 311 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 414-311= 103 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये 25X103= 2575 रूपये प्रतिमाह अथवा 2575÷26= 99 रूपये 04 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 103 पर (103÷4=25.75) रूपये 25.75 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय होगा।

अनुसूची – एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	44.25	रू. 25.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 70.00
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	45.00	रू. 25.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 70.75

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेकेट में भरकर पेकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 39.60	रू. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 60.20
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 40.68	रू. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.28
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 40.68	रू. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.28
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 51.54	रू. 25.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 77.29
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 68.83	रू. 33.99 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 102.82
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 79.93	रू. 41.20 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 121.13
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 81.90	रू. 41.20 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 123.10
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 100.95	रू. 51.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 152.45

सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 40.68	रू. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.28
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 50.75	रू. 25.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 76.50
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 64.35	रू. 33.99 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 98.34

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 66.20	रू. 33.99 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 100.19
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 69.39	रू. 33.99 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 103.38
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 81.90	रू. 41.20 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 123.10
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 98.75	रू. 51.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 150.25
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रू. 103.09	रू. 51.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 154.59

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

<u>बिना सिलोफेन या जिलेटिन के</u>

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 33.13	रू. 17.51 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 50.47
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 34.15	रू. 17.51 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 51.66
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 40.63	रू. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.23
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 41.74	रू. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 62.34
5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 50.75	रू. 25.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 76.50
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 53.38	रू. 25.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 79.13

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना।

1. 5अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 7.61	रू. 4.12 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 11.73
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रू. 9.05	रू. 5.15 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 14.20
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैकडा रू. 50.33	रू. 7.21 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 57.54

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक

(आंकडे रूपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्डअप रूपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य चौकीदार.	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
2	टाईपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला.	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
3	एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला.	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572

नोट – अगरबत्ती उद्योग से संबंद्ध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अर्द्धकुशल, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण –

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7-2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी,2019 से जून,2019 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 311 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिन्दु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 25.00 प्रति बिन्दु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छ:माही जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमश: 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।

   अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/ 24866-25105 इन्दौर, दिनांक 01 / 10 /2025

अधिसूचना

विषय – न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दि. 01.10.25 से 31.03.2026 तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

संदर्भ - इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 10255 दिनांक 28.03.2025 के अनुक्रम में दिनांक 1.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें ।

-0-

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001= 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 (जनवरी से जून,2019) 2001=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अकुशल श्रमिक रूपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रूपये 1750/- को पुनरीक्षित न्युनतम वेतन दरों में जोडकर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें पुनरीक्षित की गई है। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जनवरी से जून,2025 की छः माही का औसत सूचकांक 414 रहा है, अतः इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (413) के उपर (414-413) = 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप **दिनांक** 01.10.2025 **से** 31.03.2026 **तक** जारी दरें निम्नानुसार रहेगीः-

अनुसूची – अ (खण्ड - ब)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
अर्द्धकुशल	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
कुशल	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634

अनुसूची –ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से)

(आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
मजदूर	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
पेकर, पटटी पेकर, सीपर	10131	389.65	2575	99.04	12706	488.69	489
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2575	99.04	16228	624.15	624
उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.38	634
कटर्स	14444	555.54	2575	99.04	17019	654.58	655

अनुसूची –स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
श्रेणी दो	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
उच्च कुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.38	634
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	13856	532.92	2575	99.04	16431	631.96	632
श्रेणी दो	13473	518.19	2575	99.04	16048	617.23	617
श्रेणी तीन	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
श्रेणी दो	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506

अनुसूची –द (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून,2025 छः माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1304 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1308 था, जिसके कारण 04 औसत बिन्दु की कमी हुई है। न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में पूर्व में दिनांक 01.04.2025 से जारी दरें यथावत रखी जा रही है, तदनुसार कृषि नियोजन में दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :-

(30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	7660	255.33	2268	75.60	9928	330.93	331

अनुसूची –क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	319.17	2575	85.83	12150	405.00	405
अर्द्धकुशल	10571	352.37	2575	85.83	13146	438.20	438
कुशल	12294	409.80	2575	85.83	14869	495.63	496
उच्चकुशल	13919	463.97	2575	85.83	16494	549.80	550

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) के औसत के उपर 2573 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2025 से 31.3.2026 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची – ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	106.81	25.73	132.54

नोट – एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रूपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रूपये 59 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रूपये 63 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रूपये 92 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 164 रूपये 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से 13 रूपये 92 पैसे एवं नियोजकों से भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रूपये 92 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 136 रूपये 84 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के विगत छःमाही के औसत सूचकांक 413 के उपर माह जनवरी से जून,2025 के औसत सूचकांक में 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची –एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	44.25	रू. 25.75	रूपये 70.00
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	45.00	रू. 25.75	रूपये 70.75

(खण्ड-अ - अनुसूची–अ)

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी,2025 को पारित आदेश के आलोक में 03 नवीन अनुसूचित नियोजन (परिशिष्ट-स) में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें **दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026** तक, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	4025	154.81	10525	404.81	405
अर्द्धकुशल	7057	271.42	4325	166.35	11382	437.77	438
कुशल	8435	324.42	4325	166.35	12760	490.77	491
उच्चकुशल	9735	374.42	4325	166.35	14060	540.77	541

स्पष्टीकरण –

1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर,2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रूपये में पूर्णाकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/24861-25105 इन्दौर, दिनांक 01 अक्टूबर,2025
प्रतिलिपि

1- **प्रमुख सचिव**, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/ नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन संसाधन विभाग, भोपाल ।
6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
17- महालेखाकार, प्रथम एवं व्दितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
18- उप नियंत्रक, शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, म.प्र.
19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
20- राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल।
21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
22- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल
23- **संभागीय आयुक्त, समस्त** संभाग, **मध्यप्रदेश**।
24- **समस्त जिला कलेक्टर**, मध्य प्रदेश।
25- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।

26- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।

27- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल एवं

28- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाड़ी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया की ओर भेजकर लेख है कि उक्तानुसार विभिन्न नियोजनों में निर्धारित न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिए पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

29- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।

30- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।

31- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिन लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर) ।

32- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।

33- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।

34- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।

35- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।

36- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

37- प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा/ वेतन शाखा/ लेखा शाखा/ अन्य समस्त शाखाओं की ओर सूचनार्थ।

38- आई.टी.शाखा, मुख्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

39- समस्त श्रम संगठन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

40- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

-0-

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP. 10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024, क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च,2025 को पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें एवं इन दरों के साथ दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय कुल न्यूनतम वेतन दरें विभिन्न अनुसूचित नियोजनों हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 135 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.10.2025 से रूपये 25.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी,2025 से जून, 2025 तक की छःमाही में कुल सूचकांक का औसत 414 रहा है। इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 413 के उपर 01 औसत बिन्दु वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रूपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से 25X01 =25.00 रूपये (पच्चीस रूपये) प्रतिमाह की वृद्धि घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.10.2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रूपये 2575/- प्रतिमाह अथवा रूपये 99.04 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर,2025 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 12150/- या प्रतिदिन रूपये 467/-, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 13146/- या प्रतिदिन रूपये 506/-, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 14869/- या प्रतिदिन रूपये 572/- तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 16494/- या प्रतिदिन रूपये 634/- देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1304-1308) = -4 औसत बिन्दुओं की कमी हुई है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) अनुसार कृषि श्रमिकों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मंहगाई भत्ते को यथावत रखा गया है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 9928/- या प्रतिदिन रूपये 331/- मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक के लिए देय होगी।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित रूपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे रूपये 11.59 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान रूपये 06.63 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान रूपये 13.92 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रूपये 164.68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से रूपये 13.92 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रूपये 13.92 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रूपये 136.84 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छ:माही का औसत 414 रहा है। जो इसके पूर्व की छ:माही के औसत 413 से ज्यादा है, इसके कारण गत छ:माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (414-311) 103 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (414-413) औसत 01 बिन्दुं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.10.2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रूपये 70.00 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए रूपये 70.75 पैसे प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण –

(1) माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी,2025 को तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024 एवं क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च,2025 पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी,2025 (म.प्र. राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोडे गये 03 नवीन अनुसूचित नियोजनों में दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित देय मासिक एवं दैनिक दरें विभागीय पोर्टल www.labour.mponline.gov.in पर प्रदर्शित अधिसूचना के खण्ड-अ की अनुसूची-अ में दर्शाए अनुसार देय होगी।

(2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी । वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

कार्यालय श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश , इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/ 25106-08 इन्दौर, दिनांक 01/10/2025

प्रतिलिपि –

1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
2- अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/ 24866-25105 इन्दौर, दिनांक 01/10/2025

अधिसूचना

विषय – न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दि. 01.10.25 से 31.03.2026 तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

संदर्भ - इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 10255 दिनांक 28.03.2025 के अनुक्रम में दिनांक 1.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें ।

-0-

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001= 100 को आधार मानकर संबंद्व की गई है, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 (जनवरी से जून,2019) 2001=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अकुशल श्रमिक रूपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रूपये 1750/- को पुनरीक्षित न्युनतम वेतन दरों में जोडकर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें पुनरीक्षित की गई है। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जनवरी से जून,2025 की छः माही का औसत सूचकांक 414 रहा है, अतः इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (413) के उपर (414-413) = 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप **दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक** जारी दरें निम्नानुसार रहेगीः-

अनुसूची – अ (खण्ड - ब)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
अर्द्धकुशल	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
कुशल	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634

अनुसूची –ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से)

(आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
पेकर, पटटी पेकर, सीपर	10131	389.65	2575	99.04	12706	488.69	489
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2575	99.04	16228	624.15	624
उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.38	634
कटर्स	14444	555.54	2575	99.04	17019	654.58	655

अनुसूची –स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
श्रेणी दो	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
उच्च कुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.38	634
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	13856	532.92	2575	99.04	16431	631.96	632
श्रेणी दो	13473	518.19	2575	99.04	16048	617.23	617
श्रेणी तीन	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
श्रेणी दो	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506

अनुसूची –द (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून,2025 छ:माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1304 है, इसके पूर्व की छ: माही का औसत 1308 था, जिसके कारण 04 औसत बिन्दु की कमी हुई है। न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में पूर्व में दिनांक 01.04.2025 से जारी दरें यथावत रखी जा रही है, तदनुसार कृषि नियोजन में **दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026** तक मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :-

(30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	7660	255.33	2268	75.60	9928	330.93	331

अनुसूची –क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (30 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	319.17	2575	85.83	12150	405.00	405
अर्द्धकुशल	10571	352.37	2575	85.83	13146	438.20	438
कुशल	12294	409.80	2575	85.83	14869	495.63	496
उच्चकुशल	13919	463.97	2575	85.83	16494	549.80	550

<u>बीडी नियोजन</u>

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) के औसत के उपर 2573 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक **01.04.2025** से **31.3.2026** तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची – ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	106.81	25.73	132.54

नोट – एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रूपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रूपये 59 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रूपये 63 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रूपये 92 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 164 रूपये 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से 13 रूपये 92 पैसे एवं नियोजकों से भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रूपये 92 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 136 रूपये 84 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के विगत छ:माही के औसत सूचकांक 413 के उपर माह जनवरी से जून,2025 के औसत सूचकांक में 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची –एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	44.25	रू. 25.75	रूपये 70.00
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	45.00	रू. 25.75	रूपये 70.75

(खण्ड-अ - अनुसूची–अ)

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी,2025 को पारित आदेश के आलोक में 03 नवीन अनुसूचित नियोजन (परिशिष्ट-स) में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें **दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026** तक, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकडे रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	4025	154.81	10525	404.81	405
अर्द्धकुशल	7057	271.42	4325	166.35	11382	437.77	438
कुशल	8435	324.42	4325	166.35	12760	490.77	491
उच्चकुशल	9735	374.42	4325	166.35	14060	540.77	541

स्पष्टीकरण –

1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर,2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर